यू०पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्स: (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22 / 116 / 2020 **दिनांक** : 10.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्तों के लिए समूह चिकित्सा बीमा नीति का नवीनीकरण

उपरोक्त विषय में एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने यूएफबीयू के संयोजक साथी एस.के. बंदलीश को पत्र संख्या एआईबीईए / जीएस / 2020 / 130 दिनांक 9.7.2020 लिखा है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

साथी एस.के. बंदलीश
संयोजक
युनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स
चंडीगढ़।

प्रिय साथी,

विषय : कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्तों के लिए समूह चिकित्सा बीमा नीति का नवीनीकरण

जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा नीति सितंबर तक और सेवानिवृत्तों के लिए अक्टूबर, 2020 तक समाप्त हो जायेगी। इसलिए संबंधित मुद्दों को उचित समय से आईबीए के साथ उठाया जाना चाहिए ताकि पॉलिसी को नवीनीकृत करते समय इन्हें शामिल किया जा सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि, पिछली बार भी यूएफबीयू से हमने सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रीमियम दर में कमी का मुद्दा उठाया था। आईबीए यूआईआईसी के साथ उठाए जाने के लिए इस पर विचार करने के लिए सहमत था बशर्ते कि सेवानिवृत्तों के लिए लागू योजना तदनुसार ठीक हो जैसे कम बेड शुल्क, कुछ प्रकार के ऑपरेशनों पर अन्तिम सीमा, आधारभूत कवरेज में कमी और उसके बाद लचीला टॉप–अप आदि।

चूंकि सेवानिवृत्तों के लिए वर्तमान प्रीमियम बहुत ज्यादा है, विशेष रूप से सेवानिवृत्त अंशकालिक कर्मचारियों, अधीनस्थ कर्मचारियों, लिपिकीय कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों, और यहां तक कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए, हमें यूएफबीयू के स्तर पर चर्चा करने और आईबीए को पहले से ही अपने विचार प्रस्तुत करने की जरूरत है ताकि यूआईआईसी के साथ बातचीत करते समय उनके द्वारा इन मुद्दों पर विचार किया जा सके।

एआईबीईए से, हम सेवानिवृत्तों के लिए मौजूदा योजना में परिवर्तन के लिए सहमत होने को तैयार हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम दर कम हो जाएगी। आप कृपया अन्य घटका के विचार मांग सकते हैं, ताकि, यूएफबोयू के रूप में, मामले को आईबीए के साथ उठाया जा सके।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह...**सी.एच. वेंकटचलम्**
महामंत्री